[Shri Nabam Rebia]

Sir, even though Arunachal Pradesh got Statehood in 1986, it got a naked Statehood. We have not been given any constitutional protection. We are getting the constitutional protection only from the laws made by the British, namely, Bengal Eastern Frontier Regulation, 1873, and Chin Hills Regulation, 1896. Besides this, we have not been given any constitutional protection under the Statehood in the Constitution of India as yet, whereas some of our tribal States in the North-East Region have been given special protection in the Constitution. Therefore, I urge upon the Government of India to consider this request of the State Government. To this effect, the Legislative Assembly of Arunachal Pradesh has also passed many resolutions and those have been forwarded to the Government of India for consideration. This is my submission. Thank you, Sir.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by Shri Nabam Rebia.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Nabam Rebia.

Need for clarity on development of Corona vaccine

SHRI VIVEK THAKUR (Bihar): Sir, I am speaking from the Rajya Sabha first Gallery.

Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to raise this issue today. सर, मैं पहली बार इस सदन का सदस्य चुना गया हूं और कल से जो कोरोना पर चर्चा चल रही है, उसको देखकर मुझे थोड़ा अचम्भा हुआ और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे केन्द्र सरकार ने इस लॉकडाउन में कुछ भी अच्छा किया ही नहीं हो, क्योंकि हर पहलू पर निन्दा ही होती रही।

MR. CHAIRMAN: Vivek Thakurji, please focus on your issue. This is not a debate.

श्री विवेक ठाकुर: मेरा इससे संबंधित एक प्रश्न है कि विश्व के सामने अब proposed COVID vaccine के आगमन का बेसब्री से इंतजार है। कई vaccine candidates हैं, जो higher stages of trials में प्रवेश कर गए हैं और संभावित dates of launch का भी speculation आरम्भ हो चुका है। इससे संभावित जो कम्पनियां हैं, उनमें बहुत बड़ी-बड़ी GAVI Alliance में कम्पनियां हैं, भारत ने भी उसमें 15 मिलियन डालर pledge किया हुआ है। सर, चिंता का विषय यह है कि जो पूरा epidemic का source of origin है, जो चर्चा में विश्व व्याप्त है, तीन ऐसी कम्पनियां उस लिस्ट में हैं, जो वहां से भी आती हैं और उनका clinical data अभी कहीं भी surface पर नहीं आया है, जबकि 3rd stage का claim और farmers का vaccination उन्होंने अपने

यहां व्याप्त रूप से आरम्भ कर दिया है। क्या यह सदन एकमत है कि हम अपने indigenous के अलावा वैसे ही vaccination candidate से जो established companies हैं, उनसे ही vaccine लेंगे, प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को जो घोषणा की है या हम उनको भी इसमें entertain करेंगे? धन्यवाद।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by Shri Vivek Thakur.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Vivek Thakur.

MR. CHAIRMAN: In Zero Hour, one has to make a submission. You are a new Member. That is why, I guided. Now, Mir Mohammad Fayaz.

Need to release political prisoners in Jammu and Kashmir

मीर मोहम्मद फ़ैयाज (जम्मू-कश्मीर): सर, 5 अगस्त, 2019 को इसी हाउस से शुरुआत हुई थी और धारा 370 और 35 (ए) को को हटाया गया। उसी रात जम्मू-कश्मीर में, खासकर कश्मीर में जितनी भी मेनस्ट्रीम पार्टीज़ थीं, चाहे उसमें हमारे कुछ एक्स चीफ मिनिस्टर्स थे, एक्स एमपीज़ थे, एक्स मिनिस्टर्स थे, एक्स लेजिस्लेटर्स थे या बाकी जितने भी हमारे वर्कर्स थे, जिनको हजारों की तादाद में गिरफ्तार किया गया और एक साल हो गया, अभी भी हमारे बहुत सारे लीडर्स या तो पीएसए के तहत बंद हैं या house arrest में हैं। एक तरफ हमारी सरकार यह कहती है कि हालात बिल्कुल ठीक हैं। हमारे वहां के एक अधिकारी ने तो इतना तक भी कहा कि इन लोगों को हमने गिरफ्तार किया, तो किसी ने बात नहीं की। हमारी पार्टी की प्रेज़िडेंट महबूबा मुफ़्ती, जो इसी सरकार के साथ हमारी कोअलिशन सरकार थी, वे चीफ मिनिस्टर थीं, तीसरी बार उन पर पीएसए लगाया गया। वे तीन बार एम.पी. रह चुकी हैं और दो बार एम.एल.ए. रह चुकी हैं। उनके पिताजी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। आज उनके ऊपर यह इलज़ाम लगाया जा रहा है कि उनसे इस देश को खतरा है। हमारे बहुत सारे जो एमएलएज़ हैं, इंजीनियर रशीद, वे दो बार एम.एल.ए. का इलेक्शन जीतकर आए। इसी तरह बहुत सारे लोग हाउस में... सर, मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि हज़ारों की तादाद में जो थे, उनमें से कुछ रिलीज़ हुए, लेकिन अभी जो सैकड़ों की तादाद में बंद हैं, उनको रिहा किया जाए। इस वक्त जम्मू-कश्मीर की जो situation है, पिछले कुछ दिनों में राजौरी के तीन बच्चे, जो मज़दूरी करने के लिए आए थे, उनका fake encounter किया गया - एक लड़के को कल सोपोर में। अब रियासत के जो मेनस्ट्रीम के political leaders हैं, वे डरते हैं कि अगर हम बात करेंगे, शायद हमें गिरफ्तार करेंगे। सर, मैं आपके माध्यम से आज सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि कम से कम जिस तरह बाकी रियासतों में अपने लोगों की बात होती है, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो कम-से-कम हमें भी वह दे दीजिए कि हम भी अपने लोगों की बात कर सकें, तो हमें गिरफ्तार न किया जाए। जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनको आज एक साल हो गया है, उनको रिलीज़ किया जाए।